न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 112/2013

1 श्रवण कमार पुत्र भानाराम
2 सुन्दरलाल पुत्र भानाराम
3 गणेशाराम पुत्र भानाराम
4 भागुराम पुत्र भानाराम
5 रूडाराम पुत्र भगवानाराम
6 रामदेवा पुत्र भगवानाराम
7 मनोहर पुत्र भगवानाराम
8 भादर पुत्र भगवानाराम
9 दाना पुत्र भगवानाराम
10 गिरधारी पुत्र चन्दाराम उर्फ चांदा
11 प्रहलाद पुत्र चन्दाराम उर्फ चांदा
कौम समस्त माली निवासीगण कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू।
2 मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी देह ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू जरिये भूमि–अधिकारी व कनविनर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धा. 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक
06.09.2013 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़, दावा उनवानी भानाराम वगै. बनाम
राज. सरकार वगै. राजस्व वाद संख्या 08/2004
दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2004 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस के द्वारा एक वाद घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 342, 443, 445, 446 वाके ग्राम कारी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की गई है। दावा में विवाद अपीलान्टस की ओर से जमीन गत खसरा नम्बर 296/1, 443, 446, 445/1 हाल खसरा नम्बर 85, 86, 89, 91 से 95, 107, 108, 938 से 941 कुल रकबा 7.52 हैक्टेयर सरहद मौजा कारी तहत तहसील नवलगढ़ का रहा है। अपीलान्टस की प्लींडिग के मुताबिक विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम नहीं की है। विचारण न्यायालय ने गत खसरा नम्बर 296/1 के बाबत तनकी कायम नहीं की है। कानून से विचारण न्यायालय को प्लींडिग के मुताबिक तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलान्टस की यह प्लींडिग रही है कि विवादित आराजीयात जो दावा की धारा 3 में वर्णित है पहले मन्दिर श्री गोपाल जी की माफी में रही और कब्जा काश्त मंगला पुत्र लखमा कौम माली का बतौर टिनेन्ट रहा। अपीलान्टस की यह प्लीडिंग है कि विवादित जमीन को लगान की एवज में तत्कालीन ठिकाना से उक्त मंगला ने काश्त हेतु प्राप्त की और लगान तत्कालीन ठिकाना को अदा किया गया। तत्कालीन ठिकाना के ने बाद में विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 की माफी में दे दी तब भी मंगला का विवादित जमीन की टिनेन्सी का संविदा कायम रहहा और लगान मंगला द्वारा मूर्ति मन्दिर को दिया गया। उक्त मंगला व उसके पुत्रों रामसुख, भगवाना, चांदा व भानाराम का विवादित जमीन पर बतौर टिनेन्ट कब्जा काश्त रहा है। उक्त तथ्य की ताईद राजस्व रिकार्ड से होती है। अपीलान्टस व मंगलाराम तथा उसके पुत्रों का विवादित जमीन पर भौतिक कब्जा काश्त बतौर टिनेन्ट रहा है तथा जमीन का लगान कायम हुआ है और पहले लगान तत्कालीन ठिकाना को तथा प्रतिवादी संख्या 2 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की माफी के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को व आर.टी. एक्ट 1955 प्रभाव में आने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की माफी खालसा होने पर लगान राजस्थान सरकार को अदा किया जाता रहा है। उपरोक्त तथ्यों को अपीलान्टस ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्टस की प्लींडिग को आदेश 8

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

नियम 5 जाप्ता दीवानी के मुताबिक इन्कार नहीं किया है इस प्रकार अपीलान्टस की प्लींडिग की रेस्पोडेन्टस द्वारा स्वीकृति मानी जावेगी और उपरोक्त अनुसार प्लींडिग की स्वीकृति होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के दावे को खारिज करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेचना के निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने आर.टी.एक्ट 1955 व राजस्थान लैण्ड रिर्फोन्स एण्ड रिजम्सन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है। जमीन जैर बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खुद काश्त में नहीं रही। जमीन जैर बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खुद काश्त में रही हो इस बाबत रेस्पोडेन्ट की तरफ से प्लींडिग नहीं की गैई और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से उपरोक्त तथ्य को साबित किया गया है। कानून से मूर्ति मन्दिर की खुद काश्त की जमीन में खातेदारी हकूक काश्तकार को मिलने की व्यवस्था नहीं है। जमीन जैर बहस मूर्ति मन्दिर के लिये उसके पुजारी की तरफ से काश्त की गई हो ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर मौजुद नहीं है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दावा का निर्णय अपीलान्टस के विरूद्ध करने में गलती की है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 का निर्णय मनमर्जी से गलत रूप से अपीलान्टस के विरूद्ध किया गया है। जमीन जैर बहस को मंगलाराम ने लगान की एवज में काश्त हेतु प्राप्त की और बतौर टिनेन्ट मंगलाराम अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहा। मंगलाराम के चार पुत्र भगवानाराम, रामसुख, भानाराम व चांदाराम पैदा हुये। भानाराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 1 से 3 है। रामसुख के वारिस अपीलान्ट संख्या 4 है। भगवानाराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 5 से 9 है। चांदाराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 10 व 11 है। उतराधिकार में जमीन जैर बहस अपीलान्ट को मिली है। उपरोक्त तथ्य अपीलान्टस ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किये है। इसके बावजूद भी दावा को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टस ने जमीन का मौके पर आपसी सहुलियत से अलग–अलग विभाजन कर रखा है जिसका नजरी नक्शा दावे के साथ संलग्न किया गया है। तनकी संख्या 2 का निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्टस के विरूद्ध करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। उक्त तनकी को निर्णित करने के आधार गलत दर्ज किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का विवादित जमीन पर भौतिक कब्जा हो अथवा अपीलान्टस विवादित जमीन पर बतौर अतिक्रमी काबिज हो ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्टस बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त रहे है ऐसी स्थिति तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलानटस के पक्ष में होना चाहिये था। तनकी संख्या 3 व 4 का निर्णय विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस के पक्ष में करने में कानूनी गलती की है। उक्त तनकियात को निर्णित करने के विधिक आधार दर्ज नहीं है। तनकी संख्या 3 व 4 के समर्थन में रेस्पोडेन्टस की तरफ से कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। दावा में अपीलान्टस संख्या 1 से 3 का पिता बतौर वादी संख्या 1 पक्षकार था। अपीलान्टस संख्या 1 से 3 के पिता भानाराम का देहान्त दौराने दावा हुआ। अपीलान्टस संख्या 1 से 3 दौराने दावा पक्षकार बने थे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि कदीमी संवत 2019 से लेकर संवत 2012 तक मंदिर श्री गोपाल जी सा.दे. दर्ज रिकार्ड रही है। इसके बाद नये सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान मंदिर माफी भूमि को पूर्वतः दर्ज रिकार्ड की जाकर खातेदार मंदिर श्री गोपाल जी सा.दे. के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो नियमानुसार की गई है। वादग्रस्त भूमि जो जमाबंदी संवत 2016 से दर्ज होकर संवत 2036 तक दर्ज रही है यह भूमि मंदिर माफी के होते हुये जो नियम विपरित दर्ज हुई है जिसे नये सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान मंदिर माफी भूमि को पूर्वत दर्ज की जाकर भूमि मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज की गई है जो सही दर्ज की गई है। वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज रिकार्ड है इस स्थिति में वादीगण के खातेदार काश्तकार नहीं होने के कारण बिना खातेदारी अधिकार के प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कदीमी संवत 2019 से लेकर संवत 2012 तक मंदिर श्री गोपाल जी सा.दे. दर्ज रिकार्ड रही है। इसके बाद नये सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान मंदिर माफी भूमि को पूर्वतः दर्ज रिकार्ड की जाकर खातेदार मंदिर श्री गोपाल जी सा.दे. के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो नियमानुसार की गई है। वादग्रस्त भूमि जो जमाबंदी संवत 2016 से दर्ज होकर संवत 2036 तक दर्ज रही है यह भूमि मंदिर माफी के होते हुये जो नियम विपरित दर्ज हुई है जिसे नये सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान मंदिर माफी भूमि को पूर्वत दर्ज की जाकर भूमि मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज की गई है जो सही दर्ज की गई है। वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज रिकार्ड है इस स्थिति में वादीगण के खातेदार काश्तकार नहीं होने के कारण बिना खातेदारी अधिकार के प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)